अध्यापकों के लिए 50 घंटे का सतत पेशेवर विकास कार्यक्रम एक सुझावात्मक मॉडल

जितेन्द्र कुमार पाटीदार*

सतत पेशेवर विकास किसी भी पेशेवर व्यक्ति के लिए जीवनपर्यंत सीखने का एक महत्वपूर्ण घटक है, क्योंकि यह ज्ञान एवं कौशलों को अद्यतन करने तथा नए बदलावों को सीखने के लिए प्रेरित करता है। चूँकि हमारे आस-पास का परिवेश बहुत तेज गति से बदल रहा है। इसीलिए अध्यापकों और प्रधानाचार्यों को भी उसी के अनुसार स्वयं को अद्यतन करना होगा, जिसमें सेवाकालीन प्रशिक्षण कार्यक्रमों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। 'राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020' में इन्हीं कार्यक्रमों अर्थात सतत पेशेवर विकास कार्यक्रमों में अध्यापकों एवं प्रधानाचार्यों को उनकी आवश्यकताओं के अनुसार शिक्षा एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम चयन करने के लिए अधिक स्वतंत्रता और स्वायत्तता प्रदान की गई है। इसी आधार पर यह लेख अध्यापकों एवं प्रधानाचार्यों को उनकी आवश्यकताओं के अनुसार एक वर्ष में 50 घंटे का सतत पेशेवर विकास कार्यक्रम पूरा करने के लिए एक स्वायत्त एवं लचीला मॉडल सुझाता है। इस मॉडल में सतत पेशेवर विकास की आवश्यकता एवं अवधारणा तथा पेशेवर विकास के उद्देश्य दिए गए हैं। साथ ही, इस मॉडल में योजना, मॉड्यूल विकसित करना, अलग-अलग माध्यम (मोड) में सतत पेशेवर विकास कार्यक्रमों का क्रियान्वयन, संसाधन व्यक्तियों का डिजिटल भंडार या रिपोजिटरी, वार्षिक कैलेंडर, वित्तीय सहायता एवं वित्तीय स्रोत, ई-पोर्टफोलियो, अध्यापकों एवं प्रधानाचार्यों के लिए सतत पेशेवर विकास कार्यक्रमों के लिए सुझाई गई विधि तथा आकलन प्रणाली आदि को समावेशित कर सरल रूप में प्रस्तुत किया गया है।

शिक्षा की गुणवत्ता में अध्यापकों की भूमिका की सार्थकता को विभिन्न राष्ट्रीय नीतिगत दस्तावेज़ों द्वारा महत्व दिया गया है। समाज में अध्यापकों के सम्मान को बहाल करने की आवश्यकता को स्वीकार करते हुए, *राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020* में यह कहा गया है कि अध्यापक को शिक्षा में मौलिक सुधारों के केंद्र में लाना होगा। इस प्रकार, अध्यापकों को अधिगम प्रक्रिया के 'हृदय' के रूप में देखा जाता है। दूसरे शब्दों में, शिक्षा प्रणाली में सुधार के लिए अध्यापकों को न केवल सबसे महत्वपूर्ण घटक माना जाए, बल्कि उन्हें शैक्षिक सुधारों को लागू करने के सार्थक 'एजेंट' के रूप में मान्यता दी जाए। इसीलिए अध्यापकों के पेशेवर विकास की आवश्यकता पर अधिक बल दिया गया है। इस प्रकार अध्यापकों

**असिस्टेंट प्रोफेसर*, अध्यापक शिक्षा विभाग, रा.शै.अ.प्र.प., नई दिल्ली 110016

के पेशेवर विकास के लिए यह नया परिवर्तनकारी प्रयास स्वागत योग्य है, जो अध्यापकों के जटिल कार्यों को मान्यता देने तथा शिक्षण को एक पेशे के रूप में भी बढ़ावा देता है।

अनुभवी और नवनियुक्त अध्यापकों और प्रधानाचार्यों दोनों के लिए पेशेवर विकास के विविध अवसरों की आवश्यकता है। क्योंकि पेशेवर विकास न केवल नया सीखने, अन्वेषण तथा वृद्धि और विकास के अवसर प्रदान करता है, बल्कि कठिन परिश्रम की मान्यता को भी बढ़ावा देता है, जिसकी अनुभवी अध्यापक माँग करते हैं। इस प्रकार, अध्यापकों और प्रधानाचार्यों के पेशेवर विकास को एक आजीवन प्रक्रिया कहा जा सकता है, जो अध्यापकों की सेवा-पूर्व शिक्षा से शुरू होकर अपनी सेवा से सेवानिवृत्त होने तक निरंतर चलता रहता है।

विद्यालयी शिक्षा प्रणाली में एक अध्यापक से कई अकादमिक और संगठनात्मक कार्य करने की अपेक्षा की जाती है। कुछ अकादमिक कार्यों में शिक्षण-अधिगम गतिविधियों की योजना बनाना और क्रियान्वित करना, विद्यार्थियों का आकलन करना, विभिन्न पाठ्यचर्या और पाठ्य-सहभागी गतिविधियों का आयोजन करना आदि शामिल हैं। वहीं संगठनात्मक कार्यों में विद्यालय प्रशासन और प्रबंधन में सहभागिता, विद्यालय विकास तथा समुदाय के साथ अंतर्क्रिया आदि शामिल हैं। सामान्यतया एक अध्यापक द्वारा औपचारिक प्रारंभिक अध्यापक शिक्षा कार्यक्रम के माध्यम से विभिन्न अकादमिक और संगठनात्मक कार्यों को करने के लिए आवश्यक ज्ञान और कौशल प्राप्त किए जाते हैं। किसी अन्य पेशेवर क्षेत्र की तरह, अध्यापन कार्यक्षेत्र भी हमेशा शिक्षा के क्षेत्र में किए गए अनुभव, अनुसंधान और विकास के माध्यम से उत्पन्न नए ज्ञान और कौशलों के साथ विकसित होता है। इसीलिए विद्यालयी शिक्षा प्रणाली में एक अध्यापक को विविध अनुभवों एवं अनुसंधानों से प्राप्त नए ज्ञान और कौशलों से अद्यतन करने की आवश्यकता होती है। साथ ही, एक अध्यापक को अपने प्रयोगों का ज्ञान, प्रयोगों पर उसका चिंतन तथा प्रयोगों में बदलाव पर उसके विचारों को व्यापक तौर पर सीखने, संवाद और चर्चा करने के लिए अन्य अध्यापकों और विशेषज्ञों के साथ साझा करने की आवश्यकता भी है।

एक 'पेशेवर' अध्यापक को न केवल अपने प्रयोगों के 'क्या' और 'कैसे' का ज्ञान होना चाहिए, बल्कि उसे अपने प्रयोगों का 'क्यों' और 'कब' का ज्ञान भी होना चाहिए। इसका अर्थ यह है कि एक पेशेवर अध्यापक केवल अपने विषय का विशेषज्ञ नहीं है और न ही एक अत्यधिक कुशल 'तकनीशियन' है जो विद्यालय एवं कक्षाओं में दैनिक जीवन की वास्तविकताओं के बारे में पर्याप्त विचार किए बिना विशेषज्ञों द्वारा निर्धारित किए गए उद्देश्यों को प्रभावी ढंग से मानकीकृत पाठ पढ़ाने और लागू करने में सक्षम है। बल्कि वह एक 'परिवर्तनकारी बुद्धिजीवी' जो इस बारे में गंभीर और स्पष्ट रूप से सोच सकता है कि वह क्या कर रहा है? वह क्यों कर रहा है? जो लगातार विद्यालयी शिक्षा की प्रकृति को समझने का प्रयास करता है और शिक्षा में उदार परिवर्तन लाने की दिशा में काम करता है। इसीलिए प्रयोगों का ऐसा पेशेवर ज्ञान, कार्यक्षेत्र (फील्ड) से जुड़े नवीनतम साहित्यों के अध्ययन के

साथ-साथ कार्यक्षेत्र में जुड़ाव से आता है। इसीलिए अध्यापकों को पेशेवर विकास के अवसर प्रदान करने के लिए एक व्यवस्थित और लचीली योजना की आवश्यकता है, जो उन्हें 'पेशेवर निर्णय' लेने में सक्षम बनाएगी।

साथ ही, आज हम तेजी से बदलती दुनिया में एक वैश्विक नागरिक के रूप में रहते हुए काम कर रहे हैं, इसीलिए हम सभी को भविष्य के लिए तैयार रहने की आवश्यकता है। इसीलिए, अध्यापकों और विद्यार्थियों में यूनेस्को द्वारा सतत विकास (ई.एस.डी.) के लिए शिक्षा में सुझाए गए 21वीं सदी के कौशलों एवं दक्षताओं को विकसित करने की आवश्यकता है।

भारत में अभी तक आयोजित किए गए सेवाकालीन कार्यक्रम कुछ सीमा तक 'ट्रांसमिशन ओरिएंटेड मॉडल' पर आधारित थे, जिसमें अध्यापकों को निष्क्रिय प्राप्तकर्ता माना जाता था और विषय-विशेषज्ञ अपना ज्ञान या अनुभव प्रस्तुतियों या व्याख्यानों के माध्यम से बताते थे। इस तरह के कार्यक्रमों में सामान्यतया विषयवस्तु या शिक्षण विधियों को वास्तविक परिस्थितियों से कम जोड़कर बताया जाता था तथा इसमें कोई अनुवर्ती (फॉलोअप) सहायता प्रदान नहीं की जाती थी। इस प्रकार, अध्यापकों के पेशेवर विकास की पारंपरिक संस्थागत व्यवस्था जटिल और योजनबद्ध रही है। अध्यापकों को कक्षा की पड़ताल, समीक्षात्मक अवलोकन तथा शिक्षण प्रक्रिया के मननशील विश्लेषण के संदर्भ में चिंतन करने के कम अवसर मिलते रहे हैं। साथ ही, अधिकांश सेवाकालीन प्रशिक्षण कार्यक्रमों में अध्यापकों के पेशेवर विकास के एक महत्वपूर्ण पहलू मननशील प्रयोगों को शामिल नहीं किया जाता था। इसीलिए, सेवाकालीन प्रशिक्षण के अधिकांश कार्यक्रमों में यह पाया गया कि अध्यापक ऐसे पेशेवर विकास कार्यक्रमों में बहुत कम सक्रिय रूप से सहभागिता करते हैं, जिसे वे बिना आंतरिक प्रेरणा के सहभागिता करते हुए औपचारिक 'कर्तव्य' मानते हुए पूरा करते हैं। इसके अलावा, इन पेशेवर विकास कार्यक्रमों में अध्यापकों को एक-दूसरे, प्रशासकों, शिक्षा विशेषज्ञों, अभिभावकों और समुदाय के अन्य सदस्यों के साथ सार्थक अंतर्क्रिया, संवाद और अनुभव साझा करने के अवसर भी बहुत कम दिए जाते थे।

इसके अतिरिक्त वर्तमान शिक्षा प्रणाली में अध्यापकों के पेशेवर विकास को उनके करियर की प्रगति से सीधे तौर पर नहीं जोड़ा गया है। इसीलिए, कई शोध अध्ययन दर्शाते हैं कि अधिकांश अध्यापकों ने सेवाकालीन प्रशिक्षण कार्यक्रमों में अनौपचारिक तरीके एवं कम उत्साह के साथ सहभागिता की। साथ ही, विभिन्न सरकारी एजेंसियों एवं अध्यापक शिक्षा संस्थानों द्वारा अध्यापकों की पेशेवर एवं शैक्षणिक आवश्यकताओं पर ध्यान दिए बिना प्रतिवर्ष सेवाकालीन प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए। इसके अलावा, अध्यापकों में आपस में सार्थक जुड़ाव एवं अनुभव साझा करने के बहुत कम अवसर प्रदान किए गए तथा सेवाकालीन गतिविधियों में अध्यापकों को सहभागिता के लिए प्रोत्साहन पर भी कम बल दिया गया। इस तरह सेवाकालीन प्रशिक्षण के कमज़ोर प्रयासों ने अध्यापकों को विभिन्न गतिविधियों में सहभागिता करने से भी रोका। इसीलिए सेवाकालीन प्रशिक्षण के संस्थागत

प्रयास अध्यापकों के ज्ञान, विश्वासों एवं व्यवहारों, शिक्षण-अधिगम के प्रयोगों तथा विद्यार्थियों के सीखने के प्रतिफलों में सार्थक बदलाव नहीं ला पाए।

राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण (2017) और अन्य शोध निष्कर्ष दर्शाते हैं कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की उभरती आवश्यकता के संदर्भ में सतत पेशेवर विकास (कंटिन्यू प्रोफ़ेशनल डेवलपमेंट— सी.पी.डी.) सी.पी.डी. के नए स्वरूप की आवश्यकता है, जिसकी अनुशंसा *राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020* में भी की गई है। भारत में, अध्यापकों के निरंतर पेशेवर विकास की आवश्यकता इस तथ्य के आलोक में विशेष रूप से महत्वपूर्ण हो जाती है कि देश के अधिकांश सेवा-पूर्व अध्यापक शिक्षा कार्यक्रम पूर्व में कमज़ोर गुणवत्ता वाले रहे हैं, जो सामान्यतया अध्यापकों को मननशील (रिफ्लेक्टिव) एवं नवाचारी प्रयोगकर्ता के रूप में विकसित करने में विफल रहे हैं। इस प्रकार, नई अवधारणा पर आधारित सी.पी.डी. के स्वायत्त एवं लचीले अवसर अध्यापकों की अकादमिक एवं प्रशासनिक आवश्यकताओं को पूरा कर सकते हैं।

भारत की पिछली शिक्षा नीतियों में, सतत पेशेवर विकास को सेवाकालीन प्रशिक्षण के रूप में जाना जाता है, जो न्यूनता (डेफिसिट) मॉडल पर आधारित है। इस मॉडल पर आधारित विभिन्न शोध अध्ययनों में पाया गया कि अध्यापकों के पास कुछ ज्ञान और कौशलों की कमी है और वे इस कमी को प्रशिक्षण के माध्यम से सीखकर दूर कर सकते हैं। इसी आधार पर *राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020* में सी.पी.डी. के रूप में अनुशंसा की गई है, जिसमें अध्यापकों और प्रधानाचार्यों को 50 घंटे की सी.पी.डी. पूर्ण करना अनिवार्य है। यह अनुशंसा अध्यापकों और प्रधानाचार्यों को उनकी आवश्यकताओं और संदर्भ के अनुसार सी.पी.डी. कार्यक्रमों का चयन करने की स्वायत्तता प्रदान करती है। सी.पी.डी. का यह दृष्टिकोण पूरी तरह से न्यूनता (डेफिसिट) मॉडल से परिवर्तनकारी/विकासात्मक मॉडल में बदलाव को दर्शाता है।

भारत में अध्यापकों का सतत पेशेवर विकास के इतिहास का संक्षिप्त परिचय

निष्ठा

- भारत सरकार द्वारा 2018–19 में समग्र शिक्षा के अंतर्गत विद्यालयी शिक्षा के प्रारंभिक स्तर पर अध्यापकों एवं विद्यालय प्रमुखों के सेवाकालीन प्रशिक्षण के लिए निष्ठा कार्यक्रम की शुरुआत 29 अगस्त, 2019 को की गई। *निष्ठा* (अध्यापकों और विद्यालय प्रमुखों की समग्र उन्नति के लिए राष्ट्रीय पहल) विद्यार्थियों में सीखने के प्रतिफलों में सुधार के लिए शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार का एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत रा.शै.अ.प्र.प. एवं नीपा के विषय विशेषज्ञों द्वारा देश के कई राज्यों में के.आर.पी. की रिसोर्स पर्सन को फेस-टू-फेस प्रशिक्षण दिया गया। इन (के.आर.पी. रिसोर्स पर्सन) द्वारा अपने राज्यों में खंड/मण्डल स्तर पर अध्यापकों को प्रशिक्षण दिया गया। इस प्रशिक्षण से प्रशिक्षण की विषयवस्तु को एन.आर.जी.एल. (नेशनल रिसोर्स ग्रुप) द्वारा के.आर.पी. की रिसोर्स परसर्नस को प्रशिक्षण दिया गया और इन के.आर.पी. ने अध्यापकों को प्रशिक्षण दिया। इससे विषयवस्तु का नुकसान भी कम हुआ। साथ ही, इस प्रशिक्षण में विभिन्न प्रासंगिक विषयों पर 13 मॉड्यूल विकसित कर के.आर.पी. एवं अध्यापकों को दिए गए।

- ऑनलाइन निष्ठा— कोविड-19 महामारी के दौरान, अचानक हुए लॉकडाउन से निष्ठा का फेस-टू-फेस कार्यक्रम बंद हो गया। इसीलिए, अध्यापकों और विद्यालय प्रमुखों के प्रशिक्षण कार्यक्रम को निरंतर जारी रखने के लिए, निष्ठा के फेस-टू-फेस मोड में बदलाव कर ऑनलाइन मोड में दीक्षा (ज्ञान साझा करने के लिए डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चर) पोर्टल के माध्यम से संचालित किया जा रहा है, जिसे रा.शै.अ.प्र.प. द्वारा ही समन्वित किया जा रहा है। निष्ठा-ऑनलाइन मोड में अंतर्क्रिया के लिए कई तरीके अपनाए गए हैं। यह कार्यक्रम सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकंडरी एजुकेशन (सी.बी.एस.ई.), केंद्रीय विद्यालय संगठन (के.वी.एस.), नवोदय विद्यालय समिति (एन.वी.एस.), केंद्रीय तिब्बती विद्यालय प्रशासन (सी.टी.एस.ए.), भारतीय विद्यालय प्रमाणपत्र परीक्षा परिषद् (सी.आई.एस.सी.ई.), परमाणु ऊर्जा शिक्षा सोसायटी (ए.ई.ई.एस.), सैनिक स्कूलों और एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय (ई.एम.आर.एस.) के अध्यापकों एवं विद्यालय प्रमुखों की समग्र उन्नति के लिए भी शुरू किया गया है।
- वर्तमान में, निष्ठा ऑनलाइन कार्यक्रम विद्यालयी शिक्षा के तीन स्तरों पर आयोजित किया जा रहा है— निष्ठा 1.0 प्रारंभिक स्तर के लिए, निष्ठा 2.0 माध्यमिक स्तर के लिए, और निष्ठा 3.0 पूर्व-प्राथमिक स्तर (बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान) के लिए फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमेरसी फ़ॉर नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमेरिकेसी (NIPUN Bharat) के अंतर्गत संचालित किया जा रहा है। इन कार्यक्रमों में मॉड्यूल के साथ-साथ वीडियो भी दिए गए हैं तथा डी.टी.एच. स्वयं (SWAYAM – स्टडी वेबस ऑफ एक्टिव-लर्निंग फॉर यंग एस्पाइरिंग माइंड्स) प्रभा टी.वी. चैनल पर राष्ट्रीय स्तर के संसाधन व्यक्तियों द्वारा मॉड्यूल की विषयवस्तु साझा की जाती है तथा अध्यापकों की समस्याओं एवं जिज्ञासाओं पर चर्चा भी की जाती है। अध्यापकों के साथ अंतर्क्रिया के लिए मुख्य इंटरएक्टिव वॉयस रिस्पांस सिस्टम (आई.वी.आर.एस.) का भी कार्य कर रहा है। साथ ही, संसाधन व्यक्ति अध्यापकों एवं प्रधानाचार्यों के लिए मेंटर की भूमिका भी निभा रहे हैं।
- वर्तमान में 24 फरवरी, 2022 तक 1,95,20,337 अध्यापकों और प्रधानाचार्यों को प्रारंभिक स्तर (निष्ठा 1.0) का ऑनलाइन प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूर्ण करने का प्रमाण-पत्र दिया गया है।

सतत पेशेवर विकास की अवधारणा

अध्यापकों के पेशेवर विकास की प्रक्रिया जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है, जो सेवा-पूर्व अध्यापक शिक्षा से आरंभ होती है और उनकी सेवानिवृत्ति तक जारी रहती है। इस प्रक्रिया को सामान्यतया एक निरंतरता के रूप में देखा जाता है, जिसमें शुरुआती तैयारी (सेवा-पूर्व) का चरण, प्रेरण (इंडक्शन) चरण (सेवा में अध्यापकों की शुरुआत), सतत विकास का चरण (सतत पेशेवर विकास जिसमें वे अध्यापक आते हैं, जिन्होंने शिक्षण के शुरुआती चरण को पूरा कर लिया है) शामिल हैं।

वालेस (2015) के अनुसार, "सतत पेशेवर विकास (सी.पी.डी.) एक अध्यापक के पेशेवर विकास को उनके प्रारंभिक प्रशिक्षण, अकादमिक

योग्यता और प्रेरण (इंडक्शन) से परे जारी रखना है। इसके कई रूप हो सकते हैं, जिसमें कौशल या ज्ञान को अद्यतन करने के लिए लघु कोर्स करना; शिक्षा में डिप्लोमा और स्नातकोत्तर डिग्री, जैसे— अध्ययन के दीर्घकालीन कार्यक्रम; अध्यापक के अपने संस्थान में आयोजित अध्यापक विकास कार्यक्रम; सम्मेलन; परामर्श और सहकर्मी (पीयर) मूल्यांकन आदि शामिल हैं।" इसका अर्थ यह है कि सी.पी.डी. में कई रचनात्मक योजनाबद्ध गतिविधियाँ शामिल हैं, जो एक अध्यापक या प्रधानाचार्य के करियर में मौजूदा ज्ञान या नए अधिगम को ऑनलाइन और ऑफलाइन मोड के माध्यम से अद्यतन करने में मदद करेंगी।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 तथा अध्यापकों एवं प्रधानाचार्यों का सतत पेशेवर विकास

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 द्वारा विद्यालयी शिक्षा की मौजूदा 10+2 संरचना को पुनर्गठित कर 5+3+3+4 संरचना में बदलने की अनुशंसा की गई है। इस संरचना में 3 से 18 वर्ष की आयु के बच्चे शामिल हैं। नई 5+3+3+4 संरचना में, 3 साल की उम्र से प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा (ई.सी.सी.ई.) का एक मज़बूत आधार शामिल है, जिसका उद्देश्य गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, विकास और कल्याण को बढ़ावा देना है। इस संदर्भ में, *राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020* का अनुच्छेद 1.7 आँगनबाड़ियों में कार्यरत (ई.सी.सी.ई.) अध्यापकों को सुचारु प्रयासों से प्रशिक्षित करने पर भी ध्यान केंद्रित करता है।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुच्छेद 5.15 में कहा गया है, "अध्यापक को खुद में सुधार करने के लिए और अपने कार्यक्षेत्र से संबंधित आधुनिक विचार एवं नवाचारों को सीखने के लिए सतत अवसर दिए जाएँगे। इन्हें स्थानीय, क्षेत्रीय, राज्य, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय कार्यशालाओं के साथ-साथ

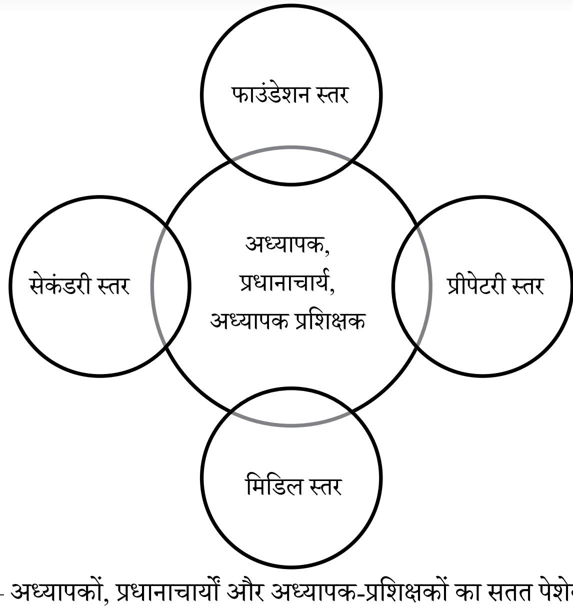

चित्र 1— अध्यापकों, प्रधानाचार्यों और अध्यापक-प्रशिक्षकों का सतत पेशेवर विकास

ऑनलाइन अध्यापक विकास मॉड्यूल के रूप में कई तरीकों में प्रस्तुत किया जाएगा। प्लेटफॉर्म (विशेष रूप से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म) विकसित किए जाएँगे ताकि अध्यापक विचारों और सर्वोत्तम अभ्यासों (प्रयोगों) को साझा कर सकें। प्रत्येक अध्यापक से अपेक्षित होगा कि वे स्वयं के पेशेवर विकास के लिए स्वेच्छा से प्रत्येक वर्ष लगभग 50 घंटों के सी.पी.डी. कार्यक्रमों में सहभागिता करें। सी.पी.डी. के अवसरों में विशेष रूप से बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान के नवीनतम शिक्षणशास्त्र, अधिगम प्रतिफलों के लिए रचनात्मक एवं अनुकूल आकलन, दक्षता आधारित अधिगम और संबंधित शिक्षणशास्त्र, जैसे— अनुभव-आधारित शिक्षण, कला-एकीकृत, खेल-एकीकृत और कहानी-आधारित उपागम आदि को क्रमबद्ध रूप में सम्मिलित किया जाएगा।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुच्छेद 5.16 में यह भी अनुशंसा की गई है कि विद्यालय के प्रधानाचार्य और विद्यालय कॉम्प्लेक्स के प्रमुखों के लिए अपने नेतृत्व (लीडरशिप) और प्रबंधन (मैनेजमेंट) कौशलों को लगातार विकसित करने के लिए एकसमान मॉड्यूलर लीडरशिप/मैनेजमेंट कार्यशालाएँ और ऑनलाइन विकास कार्यक्रम के अवसर उपलब्ध होंगे, ताकि वे अपने सर्वोत्तम अभ्यासों (प्रयोगों) को एक-दूसरे के साथ साझा कर सकें। इन संस्था प्रमुखों से यह भी अपेक्षित है कि वे भी प्रतिवर्ष 50 घंटों के सी.पी.डी. कार्यक्रमों में सहभागिता करेंगे। इसमें दक्षता और प्रतिफल-आधारित शिक्षा के आधार पर शैक्षणिक योजनाओं को तैयार करने और लागू करने को केंद्रित करते हुए लीडरशिप एवं मैनेजमेंट के साथ-साथ विषयवस्तु और शिक्षणशास्त्र संबंधी कार्यक्रम शामिल होंगे।

सी.पी.डी., करियर प्रबंधन प्रगति (सी.एम.पी.) और अध्यापकों के लिए राष्ट्रीय पेशेवर मानकों (एन.पी.एस.टी.) से जुड़ी हुई है। जैसा कि *राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020* के अनुच्छेद 5.17 में उल्लेख किया गया है कि सी.एम.पी. के लिए अध्यापकों के निष्पादन के उचित मूल्यांकन के लिए कई मापदंडों की एक प्रणाली विकसित की जाएगी, जिसमें सी.पी.डी. भी एक मापदंड होगा। इसी तरह, एन.पी.एस.टी. के लिए अध्यापकों के विविध आयामों पर निष्पादन का आकलन करने के लिए मानकों एवं पेशेवर मानदंडों का विकास किया जाएगा जिसमें भी सी.पी.डी. एक मापदंड (*राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020,* अनुच्छेद 5.20) होगा।

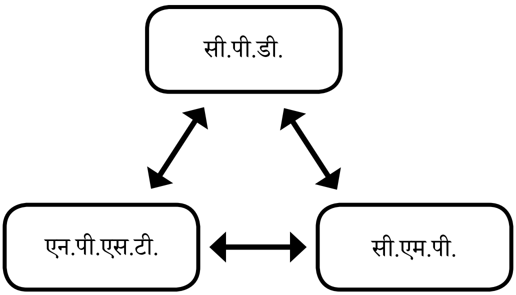

चित्र 2— सतत पेशेवर विकास (सी.पी.डी.), करियर प्रबंधन प्रगति (सी.एम.पी.) और अध्यापकों के लिए राष्ट्रीय पेशेवर मानकों (एन.पी.एस.टी.) के बीच संबंध

सतत पेशेवर विकास के उद्देश्य

विभिन्न राष्ट्रीय स्तर के शैक्षिक नीतिगत दस्तावेज़ सुझाते हैं कि अध्यापक वार्षिक सेवाकालीन प्रशिक्षण कार्यक्रमों में सहभागिता करने के अलावा, वे अध्यापकों के पेशेवर संघों के सदस्य बनें तथा पाठ्यपुस्तक विकसित करने, प्रशिक्षण मॉड्यूल विकसित करने जैसी अनेक गतिविधियों में भी

योगदान दें। साथ ही अध्यापक, संसाधन व्यक्तियों के रूप में काम कर तथा विभिन्न स्तरों पर नीतिगत दस्तावेज़ तैयार करने वाली विभिन्न समितियों के सदस्य बनकर अपना पेशेवर विकास करें। फिर भी, इन दस्तावेज़ों ने चिंता व्यक्त की है कि अध्यापकों की पेशेवर आवश्यकताओं के लिए संपूर्ण दृष्टिकोण का निर्धारण, नियोजन, कार्यान्वयन और बाह्य रूप से मॉनिटर किया जाना अत्यंत आवश्यक है। अत: एक पेशेवर के रूप में अध्यापक की अवधारणा और सेवाकालीन पेशेवर विकास की योजनाओं का पुनर्गठन आवश्यक है। इसी संदर्भ में *राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020* में अध्यापकों एवं प्रधानाचार्यों के लिए 50 घंटे के सतत पेशेवर विकास की अनुशंसा की गई है। इन्हीं अनुशंसाओं के आधार पर अध्यापकों और प्रधानाचार्यों के लिए सी.पी.डी. कार्यक्रमों के व्यापक उद्देश्य निर्धारित किए गए हैं, जो इस प्रकार हैं—

- अध्यापकों को, विद्यार्थियों को 'कैसे सीखें' सीखने और अपने स्वयं के अवलोकन, अनुभव, विश्लेषण और मनन के आधार पर ज्ञान का निर्माण करने के उद्देश्य से नवाचारी बाल-केंद्रित शिक्षण-अधिगम विधियों के उपयोग की दिशा में उन्मुखीकरण प्रदान करना तथा विद्यार्थियों के सीखने के प्रतिफलों में सुधार के लिए तैयार करना।
- उनके द्वारा पढ़ाए जाने वाले विषयों में हुए बदलावों से परिचित कराना तथा उन पर आधारित ज्ञान का उन्नयन करना।
- अध्यापकों को भारतीय संवैधानिक मूल्यों एवं ज्ञान-परंपरा के प्रति उन्मुख करना तथा उनमें 21वीं सदी के शिक्षण कौशलों और दक्षताओं को विकसित करना और चिंतन (रिफ्लेकशन) के बारे में जागरूक करना तथा उन्हें शोधार्थी के रूप में ज्ञान के साथ गहन जुड़ाव के लिए तैयार करना।
- अध्यापकों और प्रधानाचार्यों के लिए स्व-विनियमित (सेल्फ रेग्यूलेटेड) पेशेवर विकास की गतिविधियों को बढ़ावा देना।
- समीक्षात्मक चिंतन (क्रिटिकल थिंकिंग) में जुड़ने तथा शिक्षार्थियों और उनकी शिक्षा पर शोध करने के लिए अध्यापकों को तैयार करना।
- स्थानीय एवं वैश्विक सरोकारों के शैक्षिक एवं सामाजिक मुद्दों को समझने में अध्यापकों की मदद करना तथा उन्हीं के अनुसार कार्य करना।
- अध्यापकों को अन्य भूमिकाएँ निभाने के लिए तैयार करना जो पेशेवर रूप से विद्यालयी शिक्षा या शिक्षण से जुड़ी हुई हैं, जैसे— ई-सामग्री एवं अन्य डिजिटल संसाधनों का विकास, पाठ्यचर्या एवं पाठ्यपुस्तक विकास, अभिभावकों एवं समुदाय के साथ जुड़ाव आदि।
- अध्यापकों को उनके बौद्धिक अलगाव (आइसोलेशन) से बाहर निकलने में मदद करने के लिए विशिष्ट विषयों पर काम करने वाले अध्यापकों एवं शिक्षाविदों के साथ-साथ स्थानीय समाज के बुद्धिजीवियों एवं पेशेवर व्यक्तियों द्वारा अपने अनुभव एवं अंतर्दृष्टि को ऑफलाइन या ऑनलाइन माध्यम से साझा कर सहयोग प्रदान करना।
- बुनियादी स्तर के परामर्शदाता के रूप में विद्यार्थियों की सामाजिक, भावनात्मक और मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं के प्रति सतर्क और उत्तरदायी बनने के लिए अध्यापकों को संवेदनशील बनाना तथा समावेशी कक्षा-कक्ष

परिवेश को सक्षम और समृद्ध बनाने के लिए उनका अकादमिक उन्नयन करना।

- कला को शिक्षणशास्त्र के रूप में उपयोग करने हेतु अध्यापकों को प्रशिक्षित करना जिससे विद्यार्थियों की रचनात्मकता एवं नवाचार में वृद्धि हो। साथ ही, विद्यार्थियों के समग्र विकास के लिए व्यक्तिगत-सामाजिक गुणों को विकसित और मज़बूत करने के लिए अध्यापकों को उन्मुख करना।
- अध्यापकों को दक्षता-आधारित शिक्षा, अनुभव-आधारित शिक्षा, खेल-एकीकृत शिक्षा, खिलौना-आधारित शिक्षा तथा सूचना एवं सम्प्रेषण प्रौद्योगिकी का सीखने और आकलन में समावेश करने की दिशा में उन्मुखीकरण प्रदान करना।
- अध्यापकों को दक्षताओं के विकास पर केंद्रित गतिविधि आधारित अधिगम को अपनाने और तनाव मुक्त विद्यालय आधारित आकलन करने के लिए सक्षम बनाना।
- भारत एवं राज्य सरकारों द्वारा विद्यालयी शिक्षा में की गई नई पहलों को साझा करने तथा उनके बारे में अध्यापकों और विद्यालय प्रमुखों को संवेदनशील बनाना; तथा प्रधानाचार्यों को विद्यालयों में नई पहलों को बढ़ावा देने के लिए विद्यालयों में शैक्षणिक और प्रशासनिक नेतृत्व प्रदान करने के लिए प्रोत्साहित करना।

सतत पेशेवर विकास (सी.पी.डी.) का सुझावात्मक मॉडल

इस मॉडल में सी.पी.डी. की राष्ट्रीय स्तर से विद्यालय स्तर तक या उच्च स्तर से स्थानीय स्तर तक विभिन्न स्तरों पर योजना बनाने की आवश्यकता को सुझाया गया है। जिसमें विभिन्न स्तरों पर कुछ संस्थान शामिल हो सकते हैं, जैसा तालिका 1 में सुझाया गया है।

तालिका 1 में दिए गए सभी संस्थानों या एजेंसियों को पाठ्यचर्या डिजाइन, सामग्री विकास (ऑनलाइन एवं ऑफलाइन), प्रशिक्षण की योजना, प्रशिक्षण का क्रियान्वयन, ऑनलाइन कोर्सों का क्रियान्वयन एवं आकलन तथा उन्हें अपने स्तर पर अध्यापकों एवं विद्यालय प्रमुखों द्वारा सफलतापूर्वक किए गए सी.पी.डी. कार्यक्रमों के प्रमाण-पत्र भी जारी करना होगा।

तालिका 1— विभिन्न स्तरों पर सी.पी.डी. कार्यक्रमों की योजना बनाने में शामिल संभावित संस्थान एवं एजेंसियाँ

स्तर	संस्थान एवं एजेंसियाँ
राष्ट्रीय	शिक्षा मंत्रालय, एन.सी.ई.आर.टी., नीपा, इग्नू, एन.आई.ओ.एस., यू.जी.सी., एन.सी.टी.ई., के.वी.एस., एन.वी.एस., सी.टी.एस.ए., ई.एम.आर.एस., ए.ई.ई.एस., सैनिक स्कूल्स, सी.बी.एस.ई., सी.आई.सी.एस.ई., पी.एम.एम.एम.एन.एम.टी.टी. के अंतर्गत अध्यापक शिक्षा संस्थान, विश्वविद्यालयों में एच.आर.डी.सी.एस., केंद्रीय विश्वविद्यालयों के शिक्षा विभाग, एन.जी.ओ. आदि
राज्य	राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्, एस.पी.ओ., एस.आई.ई.एम.ए.टी., सी.टी.ई., आई.ए.एस.ई., राज्य विश्वविद्यालयों के शिक्षा विभाग आदि
जिला	जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, डी.पी.ओ., एन.जी.ओ. आदि
खंड/मंडल	बी.आई.टी.ई./बी.आर.सी., बी.पी.ओ., एन.जी.ओ. आदि
विद्यालय	सी.आर.सी./विद्यालय कॉम्प्लेक्स, एन.जी.ओ. आदि

सी.पी.डी. के लिए मॉड्यूल विकसित करना

सी.पी.डी. कार्यक्रमों के ऑनलाइन एवं ऑफलाइन मोड के लिए मॉड्यूल विकसित करना आवश्यक है। इसीलिए तालिका 2 में सुझाए गए विभिन्न विषयों व संदर्भों व विषयवस्तुओं/थीमों पर उपयुक्त एजेंसी या संस्थान द्वारा मॉड्यूल विकसित करना होगा।

तालिका 2— विभिन्न स्तरों पर मॉड्यूल विकसित करने के लिए विषयवस्तु के संभावित क्षेत्र

स्तर	विषयवस्तु का क्षेत्र
राष्ट्रीय	राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय उभरती चिंताओं एवं संदर्भों से जुड़े सामान्य विषय
राज्य	राज्य विशिष्ट और आवश्यकता आधारित सामग्री या मॉड्यूल
जिला	जिला विशिष्ट और आवश्यकता आधारित सामग्री या मॉड्यूल
खंड/मंडल	खंड/मंडल विशिष्ट और आवश्यकता आधारित सामग्री या मॉड्यूल
विद्यालय	विद्यालय विशिष्ट और आवश्यकता आधारित सामग्री या मॉड्यूल

- मॉड्यूल लेखन करने वाले उपयुक्त संस्थानों या एजेंसियों द्वारा निष्ठा या दीक्षा के मॉडल को अपनाया जा सकता है। इस मॉडल में, पाठ्यसामग्री 4000 शब्दों में, ऑडियो-वीडियो सामग्री 30 मिनट की, मूल्यांकन प्रश्न और मननशील गतिविधियाँ शामिल हैं। अधिक जानकारी के लिए आप 'निष्ठा— कार्यान्वयन के लिए सामान्य दिशानिर्देशों' का अध्ययन कर सकते हैं, जो https://ciet.nic.in/upload/GenericGuidelinesforImplementation.pdf पर उपलब्ध है।
- मॉड्यूल विकसित करते समय यह सुनिश्चित करें कि मॉड्यूल की प्रकृति अंतर्क्रियात्मक हो तथा जो सीखने के प्रतिफलों पर आधारित हो।
- मॉड्यूल की विषयवस्तु नेतृत्व और प्रबंधन, शिक्षणशास्त्र, आकलन, कक्षाओं एवं विषयों आदि के अनुसार हो सकती है।
- मॉड्यूल विकसित करते समय सतत आकलन की प्रक्रिया को अपनाते हुए कुछ उपयुक्त उपकरणों या परीक्षणों, जैसे— बहुविकल्पीय प्रश्न, बहुचयनित प्रश्न, मननशील (रिफ्लेक्टिव) प्रश्न, क्षेत्र आधारित (फील्ड बेस्ड) प्रश्न, चर्चा मंच, असाइनमेंट, प्रोजेक्ट, प्रश्नोत्तरी, मननशील डायरी आदि का समावेश करें।
- सी.पी.डी. कार्यक्रमों के आकलन के लिए निष्ठा के मॉडल या मानदंडों को अपनाया जा सकता है। आयोजक संस्थाएँ सी.पी.डी. कार्यक्रमों के अनुसार अपनी स्वयं आकलन की रूपरेखा या मानदंड तैयार कर सकते हैं।

सी.पी.डी. के फेस-टू-फेस मोड का क्रियान्वयन

- यह सुनिश्चित करना की सी.पी.डी. का फेस-टू-फेस मोड आवश्यकता-आधारित, संवादात्मक और व्यावहारिक अनुभवों के आधार पर कार्यशाला के रूप में हो।
- आयोजक संस्थाओं को सी.पी.डी. कार्यक्रमों के सहभागियों के निरंतर निष्पादन का आकलन तथा उनके द्वारा सफलतापूर्वक पूर्ण किए गए सी.पी.डी. कार्यक्रमों के समय (घंटों) के आधार पर प्रमाण-पत्र जारी करना होगा।

सी.पी.डी. के ऑनलाइन तथा मुक्त एवं दूरस्थ मोड में कोर्सों का क्रियान्वयन

- इसके अंतर्गत संस्थाओं को आवश्यकता आधारित और कैफेटेरिया उपागम में कोर्स उपलब्ध कराना होगा, जिसे अध्यापक अपनी

आवश्यकतानुसार चयन कर सकेंगे अर्थात कोर्स चयन में लचीलापन हो।

- कोर्स की प्रकृति अल्पकालिक हो, जो अध्यापकों की आवश्यकताओं को पूरा करेगी।
- लघु अवधि के कोर्सों में मॉड्यूल हो, साथ ही उनकी उचित आकलन प्रक्रिया भी हो। प्रत्येक कोर्स के बाद अध्यापकों को कंप्लीशन (कोर्स सफलतापूर्वक पूर्ण करने का) सर्टिफिकेट देना होगा। जो संबंधित अकादमिक वर्ष में उनके सी.पी.डी. पोर्टफोलियो का हिस्सा होगा।
- इन ऑनलाइन कोर्सों को विद्यालयी पाठ्यचर्या के साथ-साथ विद्यालयी शिक्षा के सभी स्तरों के विषयों के सीखने के प्रतिफलों से जोड़ना होगा।
- ऑनलाइन मॉड्यूल इंटरैक्टिव (अंतर्क्रियात्मक) हो तथा सीखने की गतिविधियों को तुल्यकालिक (सिंक्रोनस) और अतुल्यकालिक (असिंक्रोनस) मोड में प्रदान करना होगा।

सी.पी.डी. कार्यक्रमों के लिए संसाधन व्यक्तियों का डिजिटल भंडार

- राष्ट्रीय स्तर से विद्यालय स्तर तक संबंधित संस्थाओं को संसाधन व्यक्तियों की डिजिटल रिपोजिटरी (भंडार) अनिवार्य रूप से तैयार करना होगा।
- रिपॉजिटरी (भंडार) में ऐसे पेशेवर शामिल हों जो अपने क्षेत्र में विशेषज्ञ और अनुभवी हों।
- इस रिपोजिटरी हेतु चयनित सभी संसाधन व्यक्तियों के पास आवश्यक योग्यता, विषय का ज्ञान और संबंधित क्षेत्र का अनुभव हो।
- विषय विशेषज्ञों के पास कार्यशाला (फेस-टू-फेस मोड) और ऑनलाइन अंतर्क्रिया के दौरान ई-संसाधनों का उपयोग करने का कौशल और ज्ञान हो।
- विशेषज्ञ के पास अनुभव के साथ सहभागी तरीके से विषयवस्तु को साझा करने का ज्ञान और अनुभव भी हो।
- इस भंडार को नियमित रूप से अद्यतन करना होगा और इसे राष्ट्रीय स्तर से विद्यालय स्तर तक साझा भी करना होगा।
- इस रिपोजिटरी में सभी जानकारी, जैसे— विशेषज्ञता, संपर्क हेतु जानकारी, संस्थागत विवरण, अनुभव इत्यादि सहित प्रत्येक संसाधन व्यक्ति की आई.डी. (पहचान संख्या) बनाना होगा।
- इन संसाधन व्यक्तियों की विशेषज्ञता का उपयोग सी.पी.डी. कार्यक्रमों की योजना एवं क्रियान्वयन, ऑनलाइन मॉड्यूल, कार्यशालाओं (फेस-टू-फेस प्रशिक्षण में), ई-सामग्री विकास, आकलन, मूल्यांकन आदि में किया जा सकता है।

सतत पेशेवर विकास कार्यक्रमों का वार्षिक कैलेंडर

- प्रत्येक राज्य और संगठनों (जैसे के.वी.एस., एन.वी.एस., ई.एम.आर.एस. आदि) को फेस-टू-फेस (कार्यशाला) और ऑनलाइन सी.पी.डी. कार्यक्रमों एवं गतिविधियों के लिए एक वार्षिक सी.पी.डी. कैलेंडर बनाना होगा। इसमें अध्यापकों और प्रधानाचार्यों को अपनी आवश्यकताओं और उपलब्धता के अनुसार अपने कोर्स (ऑनलाइन या ऑफलाइन या मुक्त एवं दूरस्थ मोड) का चयन करने का विकल्प भी देना होगा।
- वार्षिक सी.पी.डी. कैलेंडर वैज्ञानिक तरीके से तैयार करना होगा ताकि अध्यापक और

प्रधानाचार्य अपने सी.पी.डी. कार्यक्रमों को सुचारु एवं व्यवस्थित ढंग से पूरा कर सकें। यहाँ पर यह भी सुझाया जाता है कि प्रत्येक तिमाही में एक अध्यापक या प्रधानाचार्य को कम से कम 12 घंटे की सी.पी.डी. गतिविधियों को पूरा करना होगा और शेष 2 घंटे की सी.पी.डी. को वर्ष में किसी भी समय पूरा कर सकते हैं।

- यदि अध्यापक या प्रधानाचार्य किसी विशेष माह में 30 घंटे की फेस-टू-फेस कार्यशाला में सहभागिता करते हैं, तो शेष घंटों के लिए ऊपर सुझाए गए सुझावों के अनुसार अपनी सी.पी.डी. को पूरा करना होगा।
- इस कैलेंडर में अध्यापकों एवं प्रधानाचार्यों के सी.पी.डी. पोर्टफोलियो (एक अकादमिक वर्ष में 50 घंटे) के व्यवस्थित आकलन हेतु प्रत्येक सी.पी.डी. गतिविधि के लिए उपयुक्त आकलन प्रक्रिया भी देनी होगी।
- इस सी.पी.डी. पोर्टफोलियो के लिए एक अलग से सी.पी.डी. ऑनलाइन पोर्टल बनाना होगा। इस पोर्टल पर अध्यापक और प्रधानाचार्य राज्य सरकार द्वारा सुझाए गए दिशा-निर्देशों के अनुसार स्वयं का ई-पोर्टफोलियो तैयार कर सकेंगे।

सी.पी.डी. कार्यक्रमों के फेस-टू-फेस (कार्यशाला) मोड, फॉलो-अप और पोर्टफोलियो आकलन के दौरान निरंतर आकलन या मूल्यांकन

- प्रत्येक संस्थान/संगठन को रचनात्मक प्रोत्साहन के साथ-साथ सहभागियों (अध्यापकों एवं प्रधानाचार्यों) के निष्पादन का सार्थक विधियों से निरंतर आकलन करना होगा।
- फेस-टू-फेस प्रशिक्षण (कार्यशाला) के दौरान भी सतत आकलन करना होगा। कार्यशाला पूरी करने के बाद संबंधित संस्थान द्वारा सहभागियों को उनकी सहभागिता और निष्पादन के आधार पर प्रमाण-पत्र प्रदान करना होगा, जिसमें अवधि (घंटों में) भी लिखना होगा।
- अध्यापकों एवं प्रधानाचार्यों के पोर्टफोलियो आकलन का एक हिस्सा उनके द्वारा किए गए ऑनलाइन या मुक्त एवं दूरस्थ मोड के कोर्स भी होंगे, यह पोर्टफोलियो अध्यापकों और प्रधानाचार्यों द्वारा स्वयं बनाया जाएगा।
- संबंधित प्रशासनिक प्राधिकरण, अध्यापकों एवं प्रधानाचार्यों के पोर्टफोलियो (एक अकादमिक वर्ष में 50 घंटे) का आकलन उनकी क्षमता निर्माण और आगे सुधार की ज़रूरतों के साथ-साथ उनके सी.एम.पी. के लिए भी करेंगे।
- इन प्राधिकरणों को विद्यालय स्तर पर फॉलो-अप भी करना होगा अर्थात संबंधित अध्यापकों एवं प्रधानाचार्यों के 50 घंटे के सी.पी.डी. कार्यक्रमों के प्रभाव का आकलन कक्षा में पढ़ाने के दौरान, विद्यालय के परिवेश और प्रबंधन, सामुदायिक सहभागिता, विद्यार्थियों के निष्पादन (सीखने के प्रतिफल) तथा अन्य मान्यता प्राप्त निष्पादनों के आधार पर करना होगा।
- संबंधित प्राधिकरण अध्यापकों या प्रधानाचार्यों के निष्पादन की अनुवर्ती कार्यवाही (फॉलो-अप) के दौरान ऑनलाइन या फेस-टू-फेस मोड के माध्यम से उनके कौशल और दक्षताओं को मज़बूत करने के लिए मार्गदर्शन भी करेंगे।
- इस प्रकार की संपूर्ण आकलन प्रक्रिया द्वारा अध्यापकों एवं प्रधानाचार्यों में अभिप्रेरणा और स्व-विनियमन (सेल्फ-रेग्यूलेशन) को बढ़ावा देना होगा।

सी.पी.डी. कार्यक्रमों के लिए वित्तीय सहायता और स्रोत

संस्थानों/एजेंसियों के लिए वित्तीय सहायता

- उपयुक्त शासकीय प्राधिकरणों द्वारा संस्थानों एवं संगठनों को सुचारु रूप से फेस-टू-फेस (कार्यशाला) प्रशिक्षण, ऑनलाइन कोर्स या प्रशिक्षण, मुक्त एवं दूरस्थ माध्यम से कोर्स आयोजित करने तथा अध्यापकों और प्रधानाचार्यों को किसी भी क्षेत्रीय, राज्य, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय वेबिनार या सेमिनार एवं सम्मेलनों में शोध पत्र या लेख प्रस्तुतीकरण के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करनी होगी। साथ ही, मॉड्यूल एवं ई-सामग्री के विकास, सेमिनार या वेबिनार, सम्मेलनों आदि के आयोजन और उनके प्रसार या क्रियान्वयन के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करनी होगी।
- ऑनलाइन और ऑफलाइन कोर्स विकसित करने, पोर्टफोलियो एवं विद्यालय-आधारित या क्षेत्र-आधारित अनुवर्ती (फॉलो-अप) या आकलन, अनुसंधान तथा अन्य शैक्षिक निष्पादन गतिविधियों के व्यवस्थित आकलन के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करनी होगी।
- सी.पी.डी. कार्यक्रमों के लिए पर्याप्त बुनियादी ढाँचा, आई.सी.टी. संसाधनों और सहायक कर्मचारियों आदि की व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए भी वित्तीय सहायता प्रदान करनी होगी।

व्यक्तिगत वित्तीय सहायता

- उपयुक्त शासकीय प्राधिकरण द्वारा संबंधित अध्यापकों और प्रधानाचार्यों को एक अकादमिक वर्ष में अपने 50 घंटे के सी.पी.डी. कार्यक्रमों को सुचारु रूप से पूरा करने के लिए मानदेय और अन्य वित्तीय सहायता प्रदान करनी होगी।
- यह वित्तीय प्रोत्साहन उन्हें सी.पी.डी. गतिविधियों में सहभागिता करने के लिए प्रेरित करेंगे।

सी.पी.डी. के अंतर्गत अकादमिक गतिविधियाँ भी जोड़ना

- सी.पी.डी. के 50 घंटों में ऑनलाइन या ऑफलाइन कोर्सों के अलावा अध्यापक और प्रधानाचार्य के अन्य शैक्षिक निष्पादन भी शामिल हों। यह शैक्षिक योगदान विभिन्न प्रकार के हो सकते हैं, जैसे— कार्यशालाओं एवं संगोष्ठियों में मुख्य वक्ता तथा सम्मेलनों में अध्यक्ष, वक्ता, पैनलिस्ट, आयोजक आदि के रूप में महत्वपूर्ण भूमिकाओं का निर्वहन।
- अध्यापकों एवं प्रधानाचार्यों के लेखों या शोध पत्रों का प्रकाशन भी सी.पी.डी. गतिविधियों में शामिल हो।
- इन सी.पी.डी. गतिविधियों में अध्यापकों एवं प्रधानाचार्यों के फील्ड/एक्सपोजर/फैकल्टी एक्सचेंज विजिट्स या कार्यक्रमों में सहभागिता भी शामिल हो।
- अध्यापकों एवं प्रधानाचार्यों में मॉड्यूल, संदर्भ पुस्तकों, पाठ्यपुस्तकों आदि के सामग्री विकास (ई-संसाधन भी) में योगदान सी.पी.डी. गतिविधियों में शामिल हो।
- अन्य सी.पी.डी. गतिविधियों में घंटों की संख्या (वैध प्रमाण-पत्र या सहायक दस्तावेज़ के आधार पर) के साथ उपयुक्त कैपिंग होगी। जिसका इस लेख में आगे सुझाव दिया गया है।

सतत पेशेवर विकास कार्यक्रमों का ई-पोर्टफोलियो

अध्यापकों एवं प्रधानाचार्यों की 50 घंटे की सी.पी.डी. गतिविधियों का एक इलेक्ट्रॉनिक पोर्टफोलियो (ई-पोर्टफोलियो) बनाना होगा, जो अध्यापकों की सीखने की प्रगति को प्रदर्शित करेगा। इस पोर्टफोलियो में लेख या शोध पत्र, पेपर प्रस्तुतीकरण के प्रमाण-पत्र; कार्यशालाएँ, ऑनलाइन अल्पकालिक कोर्स आदि के प्रमाण-पत्र शामिल होंगे। इस पोर्टफोलियो के आधार पर अध्यापकों एवं प्रधानाचार्यों के कौशल और दक्षताओं का विश्लेषण, लक्ष्यों और उद्देश्यों का निर्धारण, व्यक्तिगत आवश्यकताओं का विश्लेषण एवं पहचान आदि की नियमित आवधिक (पीरियोडिकल) समीक्षाएँ की जा सकती हैं। संबंधित शासकीय प्राधिकरण प्रत्येक अध्यापक या प्रधानाचार्य के पोर्टफोलियो का विश्लेषण करेंगे और उनके साथ निर्धारित समय अवधि में फीडबैक साझा करेंगे, जो कि उपयुक्त प्राधिकारी द्वारा तय किया जाएगा।

अध्यापकों और प्रधानाचार्यों के सतत पेशेवर विकास कार्यक्रमों के लिए सुझाई गई विधि

सी.पी.डी. की विषयवस्तु में *राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020* की अनुशंसाओं के अनुसार आधारभूत साक्षरता एवं संख्या ज्ञान, सीखने के प्रतिफलों के लिए रचनात्मक एवं अनुकूलित आकलन, नेतृत्व एवं प्रबंधन कौशल, पेशेवर कौशल एवं दक्षता-आधारित अधिगम आदि के नवीनतम शिक्षणशास्त्र को शामिल करना होगा। साथ ही, सी.पी.डी. कार्यक्रमों के दौरान अनुभव-आधारित अधिगम, कला-समेकित अधिगम, खेल-एकीकृत अधिगम, खिलौना-आधारित शिक्षणशास्त्र, आई.सी.टी.-आधारित शिक्षणशास्त्र (पी.पी.टी. के अलावा), पेशेवर कौशल और स्थानीय शिक्षण-अधिगम आवश्यकताओं तथा ज्ञान जैसे शिक्षणशास्त्र को भी शामिल करना होगा। अध्यापकों एवं प्रधानाचार्यों को अपनी 50 घंटे की सी.पी.डी. गतिविधियों को पूरा करने के लिए फेस-टू-फेस मोड, ऑनलाइन मोड तथा अन्य शैक्षिक निष्पादन गतिविधियों को अपनाना होगा। यहाँ पर सी.पी.डी. कार्यक्रमों हेतु विषयवस्तु नीचे बॉक्स में सुझाई गई है, जो कि विद्यालयी शिक्षा के अलग-अलग स्तरों के अनुसार भिन्न हो सकती है।

अध्यापकों के लिए

आकलन के साथ शिक्षणशास्त्र + विद्यालयी शिक्षा के विषय + सर्वोत्तम प्रयोगों एवं नवाचारों के साथ सामान्य विषय

प्रधानाचार्यों या विद्यालय परिसर (स्कूल कॉम्प्लेक्स) के प्रमुखों के लिए

आकलन के साथ शिक्षणशास्त्र + नेतृत्व एवं प्रबंधन + सर्वोत्तम प्रयोगों एवं नवाचारों के साथ सामान्य विषय

प्रत्येक अध्यापक एवं प्रधानाचार्य को फेस-टू-फेस मोड, ऑनलाइन मोड, मुक्त एवं दूरस्थ मोड तथा अन्य गतिविधियों के संयोजन के साथ एक अकादमिक वर्ष में 50 घंटे की सी.पी.डी. गतिविधियाँ पूरी करनी होंगी, जो उन्हें अपनी सेवानिवृत्ति तक निरंतर करनी होंगी।

सी.पी.डी. कार्यक्रमों का फेस-टू-फेस मोड

सी.पी.डी. कार्यक्रमों के फेस-टू-फेस मोड में प्रति सत्र की अवधि 1 घंटा 30 मिनट होनी चाहिए तथा प्रत्येक सत्र में व्याख्यान के साथ व्यावहारिक

अनुभव (हैंड्स-ऑन-एक्सपीरियंस) या गतिविधियाँ ज़रूर होनी चाहिए। जबकि एक दिन में चार सत्र हो सकते हैं, जो 6 घंटे के होंगे। फेस-टू-फेस प्रशिक्षण या कार्यशाला हेतु तालिका 3 में सुझाई गई समय-सारणी है—

तालिका 3— सी.पी.डी. कार्यक्रमों के फेस-टू-फेस मोड के लिए सुझाई गई समय-सारणी

समय	सत्र योजना
9:30 – 11:00	सत्र
11:00 – 11:30	चाय हेतु अवकाश
11:30 – 1:00	सत्र
1:00 – 2:00	दोपहर का भोजनावकाश
2:00 – 3:30	सत्र
3:30 – 4:00	चाय हेतु अवकाश
4:00 – 5:30	सत्र

यह सुझाई गई समय-सारणी विशेष रूप से उत्तर-पूर्वी राज्यों तथा पहाड़ी क्षेत्रों में जलवायु एवं भौगोलिक स्थिति के कारण लचीली (सत्रों की संख्या के संदर्भ में) हो सकती है।

फेस-टू-फेस मोड हेतु सत्र की अवधि 1 घंटा 30 मिनट

निर्धारित करने का औचित्य

यू.जी.सी. (च्वाइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम के तहत) ने विद्यार्थियों के लिए स्नातक और स्नातकोत्तर स्तर पर एक क्रेडिट कोर्स के लिए 90 घंटे की अवधि निर्धारित की गई है, जिसमें व्याख्यान के लिए 1 घंटे और फील्ड वर्क के लिए 2 घंटे आवंटित किए गए हैं। सी.पी.डी. कार्यक्रमों के संदर्भ में सत्र की अवधि के मानदंड लचीले हो सकते हैं। जिसमें एक सत्र की अवधि 1 घंटा 30 मिनट हो सकती है, जिसका आधार यह है कि प्रतिभागी पहले से ही विद्यालयों में काम कर रहे हैं और उन्होंने संबंधित पद ग्रहण करने से पहले आवश्यक योग्यता पूरी कर ली है।

इस प्रकार सी.पी.डी. कार्यक्रमों के लिए गतिविधियों या व्यावहारिक अनुभवों के साथ सहभागी तरीके से प्रत्येक सत्र आयोजित करने के लिए 1 घंटे 30 मिनट की अवधि का सुझाव दिया जाता है। संसाधन व्यक्ति या सुविधादाता राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की अनुशंसाओं के अनुसार अपने सत्र के दौरान नवीनतम शिक्षणशास्त्र को अवश्य शामिल करें।

ऑनलाइन मोड और दूरस्थ मोड

अध्यापक एवं प्रधानाचार्य अपनी सी.पी.डी. के 50 घंटे के कुछ भाग को पूरा करने के लिए ऑनलाइन मोड के स्व-अध्ययन और अन्य गतिविधियाँ कर सकते हैं। अध्यापकों एवं विद्यालय प्रमुखों की समग्र उन्नति हेतु चल रहे निष्ठा कार्यक्रम दीक्षा पोर्टल पर प्रत्येक मॉड्यूल 4 घंटे की विषयवस्तु एवं गतिविधियाँ प्रदान करता है। राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय संस्थान (एन.आई.ओ.एस.) / राज्य मुक्त विद्यालय/ एम.ओ.ओ.सी. कोर्स भी समय अवधि के साथ सी.पी.डी. कार्यक्रमों में शामिल किए जा सकते हैं। यह कोर्स विशेषकर विद्यालयी शिक्षा पर आधारित हों तथा अध्यापकों एवं प्रधानाचार्यों की अकादमिक आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर विकसित किए गए हों।

अन्य सतत पेशेवर विकास गतिविधियों के आकलन के मानदंड

यहाँ पर अध्यापकों एवं प्रधानाचार्यों द्वारा विद्यालयी शिक्षा के विविध क्षेत्रों में दिए गए योगदान को 50 घंटे की सी.पी.डी. गतिविधियों में शामिल करने का सुझाव गतिविधियों के सापेक्ष समय अवधि (संभावित) देकर प्रस्तुत किया गया है।

लेख/शोध पत्र प्रकाशन (मान्यता प्राप्त पत्रिकाओं में) और प्रस्तुतीकरण

- स्थानीय/क्षेत्रीय स्तर पर लेख/शोध पत्र का प्रकाशन/प्रस्तुतीकरण— आधा दिन (3 घंटे)
- राष्ट्रीय स्तर पर लेख/शोध पत्र का प्रकाशन या प्रस्तुतीकरण— एक दिन (6 घंटे)
- अंतरराष्ट्रीय स्तर पर लेख/शोध पत्र का प्रकाशन या प्रस्तुतीकरण— दो दिन (12 घंटे)

विषयवस्तु विकास और अन्य शैक्षिक निष्पादन गतिविधियाँ

- विद्यालयी शिक्षा के विषयों सहित सामान्य विषयों पर आधारित ई-सामग्री/मॉड्यूल का विकास या पुस्तक/पाठ्यपुस्तक के लिए अध्याय लिखना, जैसे— एक ई-सामग्री/मॉड्यूल का विकास— दो दिन (12 घंटे)
- क्रियात्मक शोध/ नवाचारी प्रोजेक्ट/केस स्टडी— तीन दिन (18 घंटे)
- मॉडल या नवाचारी विद्यालयों/समुदायों का दौरा— एक दिन (6 घंटे)
- पी.एम. ई-विद्या चैनल या अन्य डिजिटल प्लेटफॉर्म पर चर्चा/आधे घंटे का लाइव सत्र— आधा दिन (3 घंटे)
- पी.एम. ई-विद्या चैनल या अन्य पर चर्चा/एक घंटे या उससे अधिक का लाइव सत्र— एक दिन (6 घंटे)
- फेस-टू-फेस कार्यक्रमों में एक सत्र में विशेषज्ञ या संसाधन व्यक्ति के रूप में योगदान देना तथा कार्यशालाओं, संगोष्ठियों आदि में अनुभव साझा करना, शोध पत्र प्रस्तुत करना, वक्ता के रूप में सहभागिता करना आदि— आधा दिन (3 घंटे)
- विद्यालयी विषयों के प्रश्न पत्र बनाना— आधा दिन (3 घंटे)
- उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन के लिए एक परीक्षक के रूप में कार्य करना तथा राज्य शिक्षा बोर्डों या सी.बी.एस.ई. के लिए व्यावहारिक या परियोजना कार्य के मूल्यांकन हेतु बाहरी परीक्षक के रूप में कार्य करना— कार्य की प्रकृति के अनुसार कार्य के घंटों की गणना की जा सकती है जो उपयुक्त प्राधिकारी द्वारा निर्धारित की जा सकती है।

सी.पी.डी. कार्यक्रमों की आकलन प्रणाली

अध्यापक एवं प्रधानाचार्य अपने सी.पी.डी. के 50 घंटे सफलतापूर्वक पूर्ण करने के पश्चात सी.पी.डी. कार्यक्रमों से जुड़े दस्तावेज़ों को ई-पोर्टफोलियो पर जमा करेंगे तथा इसकी जानकारी अपने संबंधित बी.आर.सी./बी.ई.ओ./डी.ई.ओ. को देंगे। इन 50 घंटे के सी.पी.डी. कार्यक्रमों के दस्तावेज़ों का आकलन एक समिति द्वारा किया जाएगा, जिसे जिला शिक्षा अधिकारी (डी.ई.ओ.) द्वारा अधिसूचित किया जा सकता है। तालिका 4 में एक संभावित आकलन समिति प्रणाली सुझाई गई है जिसमें सहभागी अर्थात अध्यापक या प्रधानाचार्य के 50 घंटे के सी.पी.डी. कार्यक्रमों का आकलन एक समिति द्वारा किया जाएगा, जो आकलन के पश्चात अंतिम परिणाम और जानकारी जिला स्तर के अधिकारी को देंगे। जिला स्तर के अधिकारी उसे UDISE+ पोर्टल पर अपलोड करेंगे तथा साथ ही, संबंधित अध्यापक या प्रधानाचार्य को सार्थक फीडबैक देंगे।

तालिका 4— अध्यापकों और प्रधानाचार्यों के 50 घंटे के सी.पी.डी. कार्यक्रमों की आकलन प्रणाली

सहभागी	आकलन समिति	अंतिम परिणाम और रिपोर्टिंग	अंतिम परिणाम अपलोड करना और प्रतिक्रिया देना
अध्यापक	प्रधानाचार्य + सी.आर.सी.सी. + बी.आर.सी.सी./बी.ई.ओ.	डी.ई.ओ.	UDISE+ पर अपलोड करें और संबंधित अध्यापक को फीडबैक भेजें
प्रधानाचार्य/ विद्यालय परिसर के प्रमुख	सी.आर.सी.सी. + बी.आर.सी.सी./ बी.ई.ओ. + डाइट प्राचार्य या उनके नामित	डी.ई.ओ.	UDISE+ पर अपलोड करें और संबंधित प्रधानाचार्य/विद्यालय परिसर के प्रमुख को फीडबैक भेजें
एकल अध्यापक विद्यालय			
अध्यापक	प्रधानाचार्य (संकुल विद्यालय से) + सी.आर.सी.सी. + बी.आर.सी.सी./ बी.ई.ओ.	डी.ई.ओ.	UDISE+ पर अपलोड करें और संबंधित अध्यापक को फीडबैक भेजें
बिना प्रधानाचार्य के विद्यालय में			
अध्यापक	कार्यवाहक प्रधानाचार्य या प्रधानाचार्य (विद्यालय के संकुल से) + सी.आर.सी.सी. + बी.आर.सी.सी./बी.ई.ओ.	डी.ई.ओ.	UDISE+ पर अपलोड करें और संबंधित अध्यापक को फीडबैक भेजें

यहाँ पर 50 घंटे के सी.पी.डी. कार्यक्रम सफलतापूर्वक पूर्ण करने वाले संबंधित अध्यापकों और प्रधानाचार्यों के डेटा/ जानकारी UDISE+ पोर्टल पर अपलोड करने का उद्देश्य संबंधित राज्य, विद्यालयी शिक्षा के वास्तविक समय के विविध डेटा प्रदान करता है।

सी.पी.डी. कार्यक्रमों हेतु मार्गदर्शी सुझाव

सतत पेशेवर विकास अध्यापक के जीवन का एक महत्वपूर्ण पहलू है, लेकिन इसमें अपने लिए सी.पी.डी. कार्यक्रम चयनित करने की स्वायत्तता सबसे प्रमुख पहलू है। *राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020* में परिकल्पित 'अध्यापकों और प्रधानाचार्यों के लिए प्रतिवर्ष 50 घंटे की सी.पी.डी. पर सुझाए गए इस मॉडल में, संकुल से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक के संस्थानों, अलग-अलग माध्यमों (ऑनलाइन, ऑफलाइन और मिश्रित मोड) तथा नवीनतम शिक्षणशास्त्र, जैसे— बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान, दक्षता आधारित अधिगम आदि के रूप में कई पहलुओं को शामिल किया गया है। यह मॉडल अध्यापकों और प्रधानाचार्यों को अपनी आवश्यकता के अनुसार उपयुक्त कोर्स का चयन करने के कैफेटेरिया उपागम पर आधारित है। इसमें अध्यापकों को अपने लिए कोर्स चयन करने तथा प्रतिवर्ष 50 घंटे के सी.पी.डी. पूरी करने की स्वतंत्रता प्रदान की गई है। *राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020* के अनुसार अध्यापकों और प्रधानाचार्यों की सी.पी.डी. के लिए सुझाव के रूप में दिए गए इस मॉडल को ज़मीनी स्तर पर क्रियान्वित किया जा सकता है। विभिन्न विषयों पर अलग-अलग मोड में विभिन्न कोर्स उपलब्ध कराए जा सकते हैं, ताकि अध्यापक या प्रधानाचार्य अपनी आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए व्यवस्थित तथा स्वायत्तता के साथ अपनी

वार्षिक सी.पी.डी. की योजना बना सकें। वे एक वर्ष में अपने सी.पी.डी. के 50 घंटे पूरे करने के बाद, आकलन के लिए ई-पोर्टफोलियो पर अपने आवश्यक प्रमाण-पत्र अपलोड कर सकते हैं क्योंकि भविष्य में, सी.पी.डी. को *राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020* के अनुच्छेद 5.17 एवं 5.20 में परिकल्पित सी.एम.पी. और एन.पी.एस.टी. के साथ जोड़ा जाएगा। साथ ही, अध्यापकों एवं प्रधानाचार्यों के सी.एम.पी. हेतु निष्पादन के आकलन तथा एन.पी.एस.टी. के पेशेवर मानकों को प्राप्त करने के लिए सी.पी.डी. भी एक पैरामीटर होगा। इसीलिए, सी.पी.डी. कार्यक्रमों का संचालन प्रदान करने वाले संस्थानों को अध्यापकों और प्रधानाचार्यों को एक वर्ष में सफलतापूर्वक 50 घंटे के सी.पी.डी. कार्यक्रमों को पूरा करने का अवसर प्रदान करने के लिए खुद को तैयार करना होगा। इसके अतिरिक्त, संबंधित प्रशासनिक या सरकारी प्राधिकारी को उन्हें प्रतिवर्ष 50 घंटे के सी.पी.डी. कार्यक्रमों को पूरा करने के लिए अवसर देना होगा तथा उन्हें विभिन्न प्रकार के प्रोत्साहनों और सी.एम.पी. के माध्यम से प्रेरित एवं सम्मानित करना होगा।

संदर्भ

मानव संसाधन विकास मंत्रालय. 2012. *भारत में अध्यापक शिक्षा का विजन— गुणवत्ता और नियामक परिप्रेक्ष्य.* भारत सरकार, नई दिल्ली.

————. 2020. *राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020.* भारत सरकार, नई दिल्ली.

राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद्. 2009. अध्यापक शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2009. पेशेवर और मानवीय अध्यापकों को तैयार करने की ओर. राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद्, नई दिल्ली.

वॉलेस, एस. 2015. *ए डिक्शनरी ऑफ एजुकेशन*. ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, ग्रेट ब्रिटेन.